भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4311

उत्तर देने की तारीख : 26.03.2025

अल्पसंख्यक समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करना

4311. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत एक वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा अपने विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा के बराबर लाने के लिए कोई विशेष उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे को साकार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): सरकार अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से केंद्रीय अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। अल्पसंख्यक समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले एक साल के दौरान किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

1. रोजगार एवं आर्थिक सशक्तीकरण योजनाएं

i) **प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास):** मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) शुरू किया है, जो पांच पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'नई रोशनी', 'हमारी धरोहर' और 'उस्ताद' को एकीकृत करती है; और कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं की उद्यमिता और नेतृत्व; तथा स्कूल छोड़ने वालों के लिए शिक्षा सहायता के माध्यम से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक संभावनाओं और आजीविका के अवसरों में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।

ii) **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)** :

अल्पसंख्यक समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा के बराबर लाने के लिए, एनएमडीएफसी ने अपनी योजनाओं के कवरेज को बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान क्रेडिट लाइन 1 के तहत वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया है।

2. बुनियादी ढांचा विकास योजना

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके), एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो देश के स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केन्द्रित परियोजनाएं, पेयजल एवं आपूर्ति, स्वच्छता और खेल जैसे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

मंत्रालय एक अभिसरण मॉडल की दिशा में काम कर रहा है, जिसके तहत मंत्रालय की सभी योजनाओं को अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा सामना की जा रही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कमियों को दूर करने के लिए दिशा दिखाई जाती है। इसलिए, मंत्रालय के बौद्ध विकास कार्यक्रम (बीडीपी) को एक पायलट पहल के रूप में लॉन्च किया गया जो बौद्ध आबादी की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करता है और उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाता है। इस योजना में इस परियोजना के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा विकास भी शामिल है और यह मुख्य रूप से लद्दाख से सिक्किम तक हिमालयी बेल्ट को कवर करता है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/सीजीओ परियोजनाओं को लागू करते हैं और उनकी निगरानी करते हैं।

*****